राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः— शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः—18 / 2016

1. डुंगरमल पुत्र गुलाबनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नं. 11 मलसीसर तहसील मलसीसर ।
2. विश्वनाथ वर्ष पुत्र गुलाबनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नं. 11 मलसीसर तहसील मलसीसर।
3. ओमप्रकाश वर्ष पुत्र गुलाबनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नं. 11 मलसीसर तहसील मलसीसर।

3.1 मुकेश कुमार वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति जोगी निवासी वार्ड नं. 11 मलसीसर तहसील मलसीसर।

3.2 श्रीमति प्रेम देवी वर्ष पत्नी ओमप्रकाश जाति जोगी निवासी वार्ड नं. 11 मलसीसर तहसील मलसीसर।

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धा 251ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :—16.03.2021

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र मय शपथपत्र जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया कि ग्राम मलसीसर में स्थित भूमि ख. नं. 1000 प्रार्थीगणों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगणों के खाता विभाजन कर लिया। जिसके फलस्वरूप इस जमीन के ख. नं. 1000 रकबा 0.74 है0 प्रार्थी नं. 1 के हिस्से में, ख. नं. 1171 / 1000 रकबा 0.74 है0 प्रार्थी नं. 2 के हिस्से में, ख. नं. 1172 / 1000 रकबा 0.74 है0 प्रार्थी नं. 3 के हिस्से में आया। प्रार्थी ख. नं. 1000 में अपनी फसल काश्त करता है। खेत को काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि वाहन लाते ले जाते रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसार ख. नं. 995 से आवागमन करते थे। वर्तमान में ख. नं. 995 वर्तमान में तहसीलदार व सा.नि.वि. के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की भूमि में आने—जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी के ख. नं. 1000 में आने—जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

प्रकरण में मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1000 में आने—जाने के लिए ख. नं. 999 रकबा 0.20 है0 की दक्षिणी सीमा के सहारे—सहारे वर्तमान में रास्ता काम में लेते है। जिसकी लम्बाई 108 मीटर है एवं चौड़ाई 4 मीटर है। कुल 432 वर्गमीटर भूमि ख. नं. 1000 में आने जाने हेतु दिया जाना उचित है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण को रास्ता कीमतन दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम मलसीसर में स्थित भूमि ख. नं. 1000 में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विवेचन से साबित होता है कि प्रार्थीगण की भूमि में आने—जाने के लिए ख. नं. 999 में से रास्ता दिये जाने के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित रास्ता कीमतन दिया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मलसीसर में स्थित ख. नं. 1000 में आने—जाने के लिए ख. नं. 999 की दक्षिणी सीमा के सहारे—सहारे 108x4= 432 वर्गमीटर डी एल सी दर का दोगुना कीमत पर रास्ता कायम किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार मलसीसर रास्ते की कीमत तय करें तथा नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की कीमत का खातेदार का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम कर राजकीय रास्ता अंकित करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर